

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
राजकीय/अनुदानित/पीओपीओ मोड/
निजी क्षेत्र की संस्थाएं।

पत्रांक:-प्राशिप/अनु04/प्रयो0परी0 दिस0 2025/2222 लखनऊ:दिनांक- 11/06/2025

विषय:-सम सेमेस्टर/विशेष बैंक पेपर परीक्षा, जून-2025 (केवल डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु) की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर/विशेष बैंक पेपर परीक्षा, जून-2025 की प्रयोगात्मक परीक्षा दिनांक 12-06-2025 से 25-6-2025 के मध्य संपन्न करायी जानी है।

अवगत कराना है कि सम सेमेस्टर/विशेष बैंक पेपर परीक्षा, जून-2025 की प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराने हेतु प्राथमिकता के आधार पर परीक्षकों का विवरण संस्था लॉगिन एवं परीक्षक लॉगिन पर उपलब्ध कराया जा रहा है जिनके द्वारा सम सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा/विशेष बैंक पेपर परीक्षा, जून-2024 की लिखित उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में सहयोग प्रदान किया गया है।

सम सेमेस्टर/विशेष बैंक पेपर परीक्षा, जून-2025 की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु संबंधित संस्था एवं नियुक्त परीक्षक निम्नवत् निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें:-

1. प्रयोगात्मक परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित परीक्षक द्वारा ही संपन्न करायी जायेगी।
2. संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक, संस्था लॉगिन पर उपलब्ध प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु नियुक्त परीक्षक से 02 कार्यदिवस के भीतर दूरभाष एवं उपलब्ध ई0मेल0 द्वारा संपर्क करना सुनिश्चित करेंगे।
3. यदि नियुक्त परीक्षक द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा नियुक्त परीक्षक से इस संबंध में असमर्थता पत्र निश्चित तौर पर प्राप्त किया जाए जिसकी सूचना अग्रेतर कार्यवाही हेतु परिषद की ईमेल anubhag4bte@gmail.com पर प्रेषित की जाए। सूचना प्राप्त न होने की दशा में परिषद द्वारा कोई अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाएगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य/निदेशक का होगा।
4. प्रयोगात्मक परीक्षा पूर्ण होने के अधिकतम 02 कार्यदिवस के भीतर प्रयोगात्मक अंक परीक्षक द्वारा परिषद की वेबसाइट www.bteup.ac.in पर उपलब्ध परीक्षक लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जायेंगे। अतः प्रयोगात्मक अंक परीक्षक लॉगिन पर भरते समय पूर्ण सावधानी बरती जाए। यदि परीक्षक द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत ऑनलाइन अंकों को परीक्षक लॉगिन के माध्यम से नहीं भरा जाता है तो संबंधित परीक्षक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी एवं परीक्षक को आगामी प्रयोगात्मक परीक्षाओं से विरत कर दिया जायेगा।
5. प्रयोगात्मक परीक्षा सी0सी0टी0वी0 युक्त कमरों में संपन्न करायी जायेगी जिसको संस्था स्तर पर संबंधित संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा एवं

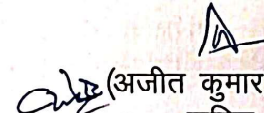
आवश्यकता पड़ने पर परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा। निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाओं द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न होने के उपरान्त परीक्षा की संपूर्ण रिकार्डिंग पेनड्राइव में परिषद कार्यालय के अनुभाग-4 को अनिवार्य रूप से हस्तगत करायी जाएगी।

6. बैंक पेपर एवं ओनली बैंक पेपर का कोई छात्र/छात्रा जिसके प्रयोगात्मक विषय में बैंक है उसकी प्रयोगात्मक परीक्षा संस्था में प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु नियुक्त संबंधित विषय के परीक्षक द्वारा ही संपन्न करायी जायेगी।
7. प्रयोगात्मक परीक्षा पूर्ण होने का परीक्षक प्रमाण पत्र संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा नियुक्त परीक्षक को प्रदान किया जायेगा, जिसकी प्राप्ति ई-लिस्ट के साथ संस्था में सुरक्षित रखी जायेगी, परीक्षक प्रमाण पत्र का प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न है।
8. सम सेमेस्टर/विशेष बैंक पेपर परीक्षा, जून-2025 की प्रयोगात्मक परीक्षा के प्रयोगात्मक अंको की हार्डकॉपी/ई-लिस्ट एवं प्रयोगात्मक परीक्षा संबंधी समस्त अभिलेख संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा सुरक्षित रखे जायेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर परिषद को उपलब्ध करायी जायेंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सम सेमेस्टर/विशेष बैंक पेपर परीक्षा, जून-2025 में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को अपने स्तर से प्रत्येक स्थिति में यथोचित माध्यम से (श्यामपट्ट पर सूचना चस्पा करके, दूरभाष के माध्यम से या व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से) सूचित करते हुए प्रयोगात्मक परीक्षा पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में कोई भी पत्र छात्र/छात्रा प्रयोगात्मक परीक्षा से वंचित न रहने पाये अन्यथा कि स्थिति में यदि कोई छात्र/छात्रा प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जाता है तो वह न्यायालय अथवा आयोग की शरण में जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य/निदेशक का होगा।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

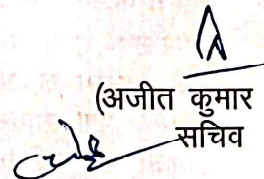
भवदीय,


(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/अनु04/प्रयो0परी0 दिस0 2025/ 2223-26 तददिनांक- 11/06/2025

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्दलेखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।


(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

प्रमाण-पत्र

(संस्था द्वारा प्रत्येक प्रयोगात्मक परीक्षक को इस प्रपत्र पर प्रमाण-पत्र दिया जाय)

नोट-(1) इस प्रमाण-पत्र को पाँच प्रतियों में बनाया जाय और जैसे ही कोई प्रयोगात्मक परीक्षक संस्था में सभी सम्बन्धित प्रयोगात्मक परीक्षा समाप्त करके जाने लगे, तीन प्रतियाँ परीक्षक को दे दी जाय, चौथी प्रति उसी समय परिषद् को सूचनार्थ भेज दी जाय और पाँचवी प्रति संस्था अपने अगिलेखों में रख ले।

(2) बैंक पेपर के रूप में सम्मिलित होने वाले छात्रों तथा ऐसे छात्र/छात्रों जिनकी प्रयोगात्मक परीक्षा छूट जाने के कारण आप को संस्था से परीक्षा देने को अनुमति दी गयी है, के सन्दर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों के नाम तथा अनुक्रमांक नीचे अवश्य लिखने का कष्ट करें।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोगात्मक परीक्षक का नाम तथा परीक्षक का कोड नं०
परीक्षक का मोबाइल नं० ने इस संस्था में निम्नलिखित परीक्षाएँ सम्पन्न कर ली हैं। अन्य विवरण भी निम्नवत् है।

क्रम- सं०	प्रयोगात्मक विषय का नाम	विषय पेपर कोड	कक्षा का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम कोड	परीक्षार्थियों की पंजीकृत-संख्या	प्रयोगात्मक परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या	अनुक्रमांक सहित अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या	परीक्षा तिथियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									

नोट-1-स्तम्भ 5 एवं 6 में दर्शायी गयी संख्या का योग स्तम्भ 4 के बराबर होना चाहिए।

2-यदि परिषद् द्वारा किसी छात्र/छात्रों को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु अधिकार पत्र दिया जाता है तो उक्त प्रमाण-पत्र में अनुक्रमांक सहित अलग से उल्लेख करें।

संस्था का कोड संस्था का नाम

(प्रधानाचार्य)

संस्था की सील

दिनांक

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 11 प्रा०शि०परिषद्-2-1-2013-(3132)-10,000 प्रतियाँ (क०/टी०/आफसेट)।